ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–28.02.2025 को सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा हरसिद्धि प्रखंड के मौजा–सेवराहाँ थाना नं०–108 (माई स्थान के पास) सरकारी जमीन गन्ना उद्योग विभाग को गन्ना प्रशिक्षण केन्द्र बनाने से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

समय :– **05:00 बजे अपराह्न।**

उपस्थिति :– श्री राहुल कुमार, ईख पदाधिकारी, मोतिहारी/श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री ई० अनुपम अमिताभ, वैज्ञानिक, कृषि अभियंत्रण ऑनलाइन के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

बैठक में ईखायुक्त, बिहार द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा हरसिद्धि प्रखंड के मौजा–सेवराहाँ थाना नं०–108 (माई स्थान के पास) में रकवा 46.20 डी० सरकारी जमीन गन्ना उद्योग विभाग को गन्ना प्रशिक्षण केन्द्र बनाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

ईखायुक्त, बिहार द्वारा ईख पदाधिकारी, मोतिहारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा हरसिद्धि प्रखंड के मौजा–सेवराहाँ थाना नं०–108 (माई स्थान के पास) में रकवा 46.20 डी० सरकारी जमीन का स्थल निरीक्षण कर ईख पदाधिकारी समस्तीपुर एवं वैज्ञानिक, कृषि अभियंत्रण के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण केन्द्र, कमरा, छोटा हॉल एवं बड़ा हॉल तथा 30 लोगों को ठहरने के लिए डोरमेटरी इत्यादि बनाने हेतु एक आउट लाइन/नक्शा तैयार कर दिनांक–05.03.2005 तक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। प्रतिवेदन उपलब्ध होने के पश्चात् इस सन्दर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–गै०यो०–01/2024–317/ई०आ० /पटना, दिनांक– 02 फरवरी, 2025
प्रतिलिपि–सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–गै०यो०–01/2024–317/ई०आ० /पटना, दिनांक– 02 फरवरी, 2025
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–गै०यो०–01/2024–317/ई०आ० /पटना, दिनांक– 02 फरवरी, 2025
प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।